भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2200** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025/ 10 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है

राष्ट्रीय जलमार्गों पर अवसंरचना का संवर्धन

†2200. श्री राजेश वर्मा:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर :
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्रीमती शांभवी:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्गों पर अवसंरचना के संवर्धन हेतु महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन पहलों से राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्रों में परिवहन दक्षता में सुधार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और यदि हाँ, तो इन निवेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तटीय समुदायों की सहायता के लिए नदी समुदाय विकास योजना शुरू की है और यदि हाँ, तो इस योजना में क्या विशिष्ट उपाय शामिल हैं;

(घ) क्या सतत नौवहन प्रथाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के अंतर्गत नए हरित जहाजों को लॉन्च करने की योजना है और यदि हाँ, तो लॉन्च के लिए कितने जहाजों की योजना बनाई गई है; और

(ङ) क्या इन प्रयासों से अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होने और कौशल विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और यदि हाँ, तो इसे प्राप्त करने के लिए क्या पहल की जा रही है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्गों पर अवसंरचना को बढ़ाने के लिए 6833.46 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश को मंजूरी दी है, जिसका विस्तृत ब्यौरा संलग्न **अनुबंध** में दिया गया है। चूंकि, राष्ट्रीय जलमार्ग परिवहन का एक वैकल्पिक और सहायक साधन हैं, अत:, इनका विकास करने से परिवहन दक्षता बढ़ सकती है और क्षेत्रों में आर्थिक विकास का संवर्धन होगा।

(ग): जल मार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), जो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में गंगा नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-1) के किनारे रहने वाले किसानों, मछुआरों और स्थानीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक लाभ के लिए 60 सामुदायिक जेट्टी का निर्माण कार्य शुरू किया है। इसके अलावा, इन नदियों के आसपास रहने वाले समुदायों की सुविधा के लिए देश भर के अन्य राष्ट्रीय जलमार्गों पर फ्लोटिंग जेट्टी/टर्मिनल का निर्माण किया गया है।

(घ): आईडब्ल्यूएआई ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) को आठ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारन के निर्माण का ऑर्डर दिया है। इसके अतिरिक्त, सीएसएल द्वारा निर्मित एक हाइड्रोजन ईंधन चालित जलयान आईडब्ल्यूएआई को सौंप दिया गया है और उसे वाराणसी में तैनात किया गया है।

(ङ) अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) क्षेत्र के विकास में रोजगार के अवसर पैदा करने और विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है, जिसमें नदी क्रूज पर्यटन, जलयान डिजाइन/संचालन, टर्मिनल निर्माण और प्रचालन, रखरखाव ड्रेजिंग, फेयरवे विकास, नौचालन सहायता, नदी इंजीनियरिंग, जल विज्ञान आदि शामिल हैं।

अनुबंध

पिछले पांच वर्षों के दौरान जलमार्गों हेतु स्वीकृत निवेश का विवरण:

क्रम.	परियोजना का नाम	राशि (करोड़ में)
1	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में रा.ज.-1 (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली) पर वाराणसी-हल्दिया खंड से जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी-I और II)	5061.15
2	8 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारन (ग्रीन अंतर्देशीय जलयाान)	144.00
3	राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (बांग्लादेश सीमा से धुबरी से सदिया तक ब्रह्मपुत्र नदी) का व्यापक विकास	498.38
4	पांडु पत्तन टर्मिनल से रा.रा.-27 तक संपर्क मार्ग का विकास और पांडु, गुवाहाटी में पोत मरम्मत सुविधा	419.00
5	रा.ज.-16 का व्यापक विकास	134.72
7	23 राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास (चरण-1)	266.09
8	पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतर्देशीय जलमार्ग अवसंरचना परियोजनाओं के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस)	100.00
9.	विविध परियोजनाएँ	210.22
कुल		6833.56

*****